

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.-99/2019

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक-14.11.19

सरकार बनाम विक्रम सिंह वगै०

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख० न० 617/2.72 है 0किस्म जमीन गै० मु० रास्ता मेंसे 0.01 है० पर विक्रम सिंह , जगदेव सिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये । इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैरसायलान विक्रम सिंह ,जगदेव सिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617/2.72 किस्म जमीन गै० मु० रास्ता मेंसे 0.01 है० पर जोत लगाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमीयों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः विक्रम सिंह , जगदेव सिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख० न० 617/2.72 किस्म जमीन गै० मु० रास्ता मेंसे 0.01 है० पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.30रु का पचास गुणा 15 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू० अ० नि० व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

क्र.सं 2019-200 के रा० सं० 4
के पृष्ठ संख्या 52 पर 15.....
इसमें कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली